

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर  
परिवाद संख्या 58/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री अतुल पारीक पुत्र श्री रमेशचन्द्र पारीक, मैसर्स सुपर मार्केट (माया बाजार) अजमेर रोड़, किशनगढ़।
2. किशोर कुमार पुत्र लददाराम मैसर्स सुपर मार्केट (माया बाजार) अजमेर रोड़, किशनगढ़।
3. रेशमा देवी पुत्री किशोर कुमार मैसर्स सुपर मार्केट (माया बाजार) अजमेर रोड़, किशनगढ़।
4. मैसर्स सुपर मार्केट (माया बाजार) अजमेर रोड़, किशनगढ़।
5. गौरव टॉक पुत्र सुरेश कुमार टॉक M/S Atharwa Enterprises C-22 Nandpuri Hawa Sadak Near 22 Godam Jaipur 1
6. M/S Atharwa Enterprises C-22 Nandpuri Hawa Sadak Near 22 Godam Jaipur 1
7. Manish Shrivastava, M/S Capital Foods Private Limited, Village Nahali, Tah. Umbergaon, Dist Valsad, Gujrat - 396108
8. M/S Capital Foods Private Limited, Village Nahali, Tah. Umbergaon, Dist Valsad, Gujrat - 396108

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा  
26 की उप धारा (2) (11) एवं धारा 51 व 52 के तहत

उपस्थित :- 1. श्री आशीष कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

:- आदेश :-

दिनांक- 28.04.2017

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्रान्ड Instant Noodles (प्रोप्राईटरी फूड) Chings Secret विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (1) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर


द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.06.2015 को 12.15 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स सुपर मार्केट (माया बाजार) अजमेर रोड़, किशनगढ़ पर पहुँचे श्री अतुल पारीक पुत्र श्री रमेशचन्द्र पारीक मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को Instant Noodles (प्रोप्राईटरी फूड) Chings Secret का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान Instant Noodles (प्रोप्राईटरी फूड) Chings Secret के 300-300 ग्राम के 18 पैक पैकेट रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को Instant Noodles (प्रोप्राईटरी फूड) Chings Secret में मिलावट का शक होने पर उनमे से 8 पैकेट (300X8 ग्राम) Instant Noodles (प्रोप्राईटरी फूड) Chings Secret वास्ते नमूना जॉच हेतु 440/- रूपयें श्री अतुल पारीक पुत्र श्री रमेशचन्द्र पारीक को नगद देकर गवाह श्री प्रेम चन्द शर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री अतुल पारीक पुत्र श्री रमेशचन्द्र पारीक को सम्मलाकर रसीद प्राप्त करके खरीदशुदा Instant Noodles (प्रोप्राईटरी फूड) Chings Secret के प्रत्येक 2-2 पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ अजमेर के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चिपका कर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1074 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जापते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/9181 दिनांक 08.08.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/473/एक्ट/2015 /473 दिनांक 23.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया Instant Noodles (प्रोप्राईटरी फूड) Chings Secret सबस्टेण्डर्ड व मिसब्रान्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 30.05.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 30.05.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 28.04.2017 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 28.04.2017 को अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थीगण ने उन पर लगाये गये आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए जवाब नोटिस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तर्क स्पष्टतः दुर्नियोजित, गलत, भ्रामक एवं सारहीन है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त निरा कर्ता (प्रकाशन) अजमेर

मिसब्राण्ड क्या है एवं किस कारण से है इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा न ही खाद्य विश्लेषक द्वारा भी कोई स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वरवक्त बहस उपस्थित नहीं रहने के कारण राज्य सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखा जा सका है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत जबकि प्रार्थी स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को औचित्यपूर्ण व तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार सिद्ध करने में असफल रहे हैं, इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब भी वह न्यायालय हाजा में प्रकरण प्रस्तुत करे तब प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी लेकर प्रस्तुत करें तथा वरवक्त बहस न्यायालय में उपस्थित रहकर सरकार की ओर से पैरवी करें। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने हेतु लिखा जावेगा। इसके साथ ही अप्रार्थीगण को भी निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में उन्हें मसाला मिक्स के पाउच पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिग अधिनियम 2011 की पालना में घोषणा अंकित करे ताकि उपभोक्ता के हित की रक्षा हो सके एवं उपभोक्ता को ज्ञान हो कि वे क्या खा रहे हैं। आदेशों की पालना सख्ती से की जावे।

आदेश आज दिनांक 28.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(किशोर कुमार)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), अजमेर

दिनांक : 28.4.17

कमांक :सरिस्ता/अपर/2017/1237-39

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर
- 3- गौरव टॉक पुत्र सुरेश कुमार टॉक M/S Atharwa Enterprises C-22 Nandpuri  
Hawa Sadak Near 22 Godam Jalpur 1

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), अजमेर